कार्यालय – प्राचार्य
मदनलाल साहू शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला, जिला –बालोद (छ.ग.)
email id : govtcollegearm@gmail.com website: www.gc-armarikala.in

दिनांक – 16/08/2022

//सूचना //

महाविद्यालय में अध्ययनरत् नियमित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. रायपुर द्वारा नवीन एवं नवीनीकरण पोस्ट मैटिक छात्रवृत्ति हेतु **http://postmatric-scholarship.cg.nic.in** पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ किया जा चुका है। छात्र/छात्राएँ ऑनलाईन आवेदन भरकर आवेदन की हार्डकॉपी निम्न लिखित आवश्यक दस्तावेज सहित **श्रीमती छायारानी साहू**, प्रयोगशाला तकनीशियन, के पास दिनांक – **30/09/2022** तक कार्यालयीन दिवसो में प्रतिदिन दोपहर 1:30 से 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करें।

क्रं.	प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि
01	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	30/09/2022 तक

संलग्नक :–

01. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट एवं पासपोर्ट साइज फोटो। (विद्यार्थी Academic Year 2022-23, Institute Name – Madan Lal Sahu Govt. College Armarikala -Distt- Balod C.G. ध्यानपूर्वक भरें)
02. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करें एवं शेष प्रमाण पत्रो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
03. बैंक पासबुक की मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है। (बैंक पासबुक में जून 2022 से वर्तमान माह तक राशि जमा एवं आहरण का पूर्ण विवरण प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करावें एवं ट्रांजेक्शन की छायाप्रति संलग्न करें।)
04. स्थाई जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
05. पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
06. आधार कार्ड की छायाप्रति एवं महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति। **बैंक खाता आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नही होने पर छात्रवृत्ति नही मिल पायेगी।**
07. इस सत्र भी छात्रवृत्ति केवल छात्र/छात्रा के बैंक खातों से जारी की जायेगी अतः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्र/छात्रा का भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है। (बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है।)

Principal
Madan Lal Sahu Govt. College
Armarikala, Distt. Balod (C.G.)

08. ऐसे छात्र/छात्रा जिनका बैंक खाता, Inactive है अथवा जनधन योजना के तहत खोला गया है। वे छात्र/छात्रा अपने खाते में प्रत्येक एक महिने के अन्तराल में नगद राशि जमा करें, ताकि बैंक खाता बंद न हो (प्रत्येक बैंक के खाते में जमा करने की निर्धारित न्यूनतम जमा राशि होती है)। 06 माह से अधिक समय तक ट्रान्जेक्शन नहीं होने के कारण Inactive Account में राशि ट्रान्सफर नहीं हो पाता है। ट्रान्जेक्शन नहीं करने की स्थिति में बैंक खाता बंद होने एवं छात्रवृत्ति जमा न होने की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।

09. महाविद्यालय द्वारा एक सत्र में किसी एक ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन संबंधित संस्था को अग्रेषित किया जायेगा।

10. छात्र/छात्रा द्वारा हार्डकॉपी कार्यालय में जमा न करने की स्थिति में छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति का ऑनलाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी।

11. महाविद्यालय के नियमित बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्रा अपने पूर्व एप्लीकेशन आईडी से ही आवेदन करें। अन्य महाविद्यालय से आये नये छात्र/छात्रा (पूर्व में पो.मै.छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था) अपने पूर्व एप्लीकेशन आईडी से ही आवेदन करें तथा महाविद्यालय का नाम शासकीय महाविद्यालय अरमरीकला भरें।

12. महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र/छात्रा (पूर्व में पो.मै.छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था एवं इस वर्ष इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है) अपने पूर्व एप्लीकेशन आईडी से ही नवीनीकरण आवेदन (Renewal Application) आवेदन करें।

13. नियमित बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्रा जिन्होंने पूर्व में कभी भी पो.मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया है, वे नवीन आवेदन (Fresh Application) भरेंगे।

नोट :– **विद्यार्थी द्वारा ध्यानपूर्वक आनलाईन आवेदन भरा जावें एवं अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार सही जानकारी दी जावें। गलत जानकारी प्रदान करने पर छात्रवृत्ति निरस्त होने की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की होगी ।**

प्राचार्य

Principal
Madan Lal Sahu Govt. College
Armarikala, Distt. Balod (C.G.)